

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Absorption :</b> Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations: (a) (i) holding post in Pay Band-1, ₹5200 - 20200, plus Grade Pay of ₹1900 with eight years regular service in the grade; or (ii) holding post in Pay Band-1, ₹5200 - 20200, plus Grade Pay of ₹1800 with eleven years regular service; and (b) 10th standard or equivalent qualification pass with preferably a basic knowledge of operating printing machine. <b>Note 1:</b> The existing Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees who are working as such as on the date of notification of the Recruitment Rules with 8th standard or equivalent qualification and preferably a basic knowledge of operating printing machine shall be eligible for consideration of absorption. <b>Note 2:</b> All the eligible candidates shall be required to qualify a trade test in the relevant field for the purpose of absorption.	Not applicable	Not applicable.

[F. No A/33944/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy. Chief Administrative Officer

## (रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

**का.नि.आ. 6.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, में स्टाफ कार चालक, (विशेष श्रेणी) समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :** पद की संख्या उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त पद से संबद्ध वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



#### 4. निरहता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800रु + ग्रेड वेतन 4200रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन बैंड 1, 5200-20,200/-रु और ग्रेड वेतन 2800 रु में ऐसे सिविलियन मोटर ट्रॉसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी -I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त निदेशक या उसके समतुल्य स्तर के अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. उप निदेशक या उसके समतुल्य स्तर के अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. 4741/भ.नि./समूह 'ख' सी एम टी डी (एस जी)/ डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 29th January, 2016

**S.R.O. 6.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' Non-gazetted, non-ministerial post in Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely :-



1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .-** The number of post, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc, .-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or scale of pay	Whether selection or non selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Civilian Motor Transport Driver Special Grade	01* (2014) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, ₹ 9300-34,800 plus grade pay of ₹ 4200.	Non- Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion




In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Civilian Motor Transport Driver Grade-I in Pay Band-1, Grade Pay ₹ 2800/- in the Pay Scale ₹ 5200-20200 with 3 years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Chairman</li> <li>2. Joint Director or equivalent from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member</li> <li>3. Joint Director or equivalent from any other Defence establishment - Member</li> </ol>	Not applicable.

[F. No.4741/RR/Gp'B'(CMTD Spl Gde)/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली 29 जनवरी, 2016

**का.नि.आ. 7.**—छठे वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, विभिन्न पदों के विलयन एवं पुनर्पदनामन के बारे में की गई सिफारिशों के मद्देनजर और भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 15 नवंबर 1962 की अधिसूचना सं. 2650, जहाँ तक इसका संबंध ग्रेफ अधीनस्थ कार्मिकों से है, सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल की विभिन्न अधीनस्थ श्रेणियों के रैंक बैज निम्नवत् होंगे:-

क्र.सं.	ट्रेड	रैंक का नया बैज	
		कंधा (दोनों कंधों पर लगाई जाए)	बाँह (दायी बाँह के ऊपरी हिस्से के मध्य पर बाहर की तरफ लगाई जाए)
1.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक		
		5 मिमी की दूरी पर प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी तीन फीतियाँ	



(Department of Defence Production)  
(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th June, 2016.

S.R.O. 34.— In the Notification of Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade). Group 'B' post Recruitment Rules, 2016 (S.R.O. 6 dated 29th January, 2016), the following corrections are carried out in the English version:-

- (a) Under Column 1, the words "Civilian Motor Transport Driver (Special Grade)" shall be substituted with the words "Staff Car Driver (Special Grade)".
- (b) Under Column 4, the words "Two years" shall be substituted with the words "Two years for promotees."
- (c) Under Column 10, the word "Promotion" shall be substituted with the words "By promotion."
- (d) Under Column 1, the word "Note" shall be substituted with "Note 1" and the following Note shall be added under the existing Note.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission."

- (e) Under column 12, the existing entry shall be substituted as follows: -

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -

1. Director from Headquarters, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Chairman.
2. Joint Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member.
3. Deputy Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member.

[ F. No. 4741/RR/Gp'B' CMTD (SG)/DGAQA/ADM-II/D(HAL) ]

INDERJEET SETHI, Under Secy.



**(रक्षा उत्पादन विभाग)**  
**(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)**

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

**का.नि.आ. 51.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 और का.नि.आ.34, तारीख 10 जून, 2016 द्वारा जारी शुद्धिपत्र, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2016, में,—  
1. नियम 2 में, शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान", दोनों स्थानों पर आते हैं, शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखे जाएंगे।

2. अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ(4) में,

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6";

(ख) स्तम्भ (11) में,—

(i) प्रविष्टि के स्थान पर (वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.) निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: —

"वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में, ऐसा स्टाफ कार चालक जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।"

(ii) टिप्पण 2 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

[ फा. सं. 4741/आर.आर./एस.सी.डी.विशेष श्रेणी/वै.गु.आ.मनि/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, अधिसूचना संख्या का.नि.आ.6, तारीख 29 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात का.नि.आ.34 तारीख 10 जून, 2016 में संशोधन किए गए।



## (Department of Defence Production)

## (DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 20<sup>th</sup> June, 2017

**S.R.O. 51.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016 and corrigendum issued vide S.R.O. 34, dated 10 Jun 2016, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016, -

(1) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" occurring at both the places, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule, -

(a) in column (4),

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely  
"Level in the pay matrix";

(ii) for the entry, the following entry shall be substituted, namely :-  
"Level 6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix";

(b) in column (11),

(i) for the entry (Pay Band-1, Grade pay Rs 2800/- in the pay scale Rs. 5200-20200) the following entry shall be substituted, namely :-

"Staff Car Driver Grade-I in Level 5 in the Pay Matrix with three years of regular service in the grade."

(ii) "Note 2" and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No.4741/RR/SCD Special Grade/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, vide notification number S.R.O. 6 dated 29 January, 2016 and subsequently amended vide S.R.O. 34 dated 10 June, 2016.

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

**का.नि.आ. 52.** —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर विशेष श्रेणी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से